

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

'विषय-सूची ।

खण्ड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 में संशोधन।
4. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन।
5. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 2, 2003 एवं अधिनियम 4, 2002 की धारा-2 में संशोधन।
6. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 की धारा-10 (ii) में संशोधन।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन)

यह विधेयक झारखण्ड के

विधेयक, 2011

[समा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन

करने के लिए विधेयक –

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन— झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथा संशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 10,500/- (दस हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 40,000/- (चालिस हजार) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 10,000/- (दस हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 39,000/- (उनचालिस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन — झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में निम्नवत् संशोधन किया जायेगा :—

क्षेत्रीय भत्ता

(i) मुख्यमंत्री – 8,000/- रु० के स्थान पर 30,000/- रुपये।

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री – 8,000/- रु० के स्थान पर 20,000/- रुपये।

(नियम) नाम त्रृतीय नियम के अनुसार

4. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 में संशोधन – मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002, अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 यथा संशोधित) में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

सत्कार भत्ता

- (i) मुख्यमंत्री – 15,000/-रुपये के स्थान पर 30,000 /-रुपये।
(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री – 12,000/-रुपये के स्थान पर 25,000 /- रुपये।

5. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 2, 2003 एवं अधिनियम 4, 2002 की धारा-2 में संशोधन— मुख्यमंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय प्रभारी भत्ता में 500/-रुपया प्रतिदिन के स्थान पर यात्रा और दैनिक भत्ता—राज्य के अंदर 1,000/- तथा राज्य के बाहर 1,500/- रुपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जाता है –
6. (i) झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 की धारा-10 (II) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा—

- (i) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी;

त्रृतीय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

यह विधेयक झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।